पधारें हों
को पेश हो।

02/12/25

पत्रा० वेश हुई। मूल वाद-पत्र अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जा चुका है। प्रा० पत्र 21-RTI का चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र 21-RTI इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।